रूप-पत्र 38

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 85 का उपनियम (16) देखिये)

ऐसे व्यापारियों के सम्बन्ध में व्यापार कर अधिकारी द्वारा रखा जाने वाला खाता जिन्हें उसके द्वारा घोषणा पत्र जारी किये जायें।

भुगतान किया गया शुल्क

प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने का दिनांक	धनराशि	खजाना चालान की संख्या तथा दिनांक (न्यायालय शुल्क लिखिये, यदि न्यायालय शुल्क स्टाम्प द्वारा भुगतान किया जाय)	जारी करने का दिनांक		कुल संख्या	क्रमसंख्या .... से	तक
1	2	3¯	4	5	6	7	

रूप-पत्रों का निर्गमन

ारी किये गये रूप-पत्रो की कुल लागत	शेष शुल्क, यदि कोई रह गया हो	व्यापारी के हस्ताक्षर	सत्यापित करने वाले साक्षी के हस्ताक्षर	व्यापार कर अधिकारी / व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-2 के हस्ताक्षर
8	9	10	11	12

अभ्यपित अप्रयुक्त रूप-पत्र

कुल संख्या	क्रमसंख्या .... से	तक	रूप-पत्र 39 रजिस्टर का अभिदेश	व्यापार कर अधिकारी/ व्यापार कर अधिकारी श्रेणी घ्2 के हस्ताक्षर	दिनांक	जांच चौकी का नाम
13	14	15	16	17	18	19

जांच चौकियों से प्राप्त रूप-पत्र

रूप-पत्रो की क्रम संख्या	विक्रेता व्यापारी / पारेषक का नाम	विवरण	माल का परिमाण	मूल्य	स्तम्भ 18 से 24 तक के दर्ज करने वाले क्लर्क के हस्ताक्षर
20	21	22	23	24	25

टिप्पणी -स्तम्भ 11 के प्रयोजनों के निमित हस्ताक्षरों के सत्यापन का वही अर्थ होगा जैसा सम्पति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में है।